

कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा।

आदेश सं०— ४१ दिनांक:- २०.१२.२०२४

माननीय झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के पत्रांक सं०—झालसा/64 दिनांक ०५.०१.२०२४ के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के तत्वावधान में दिनांक २१.१२.२०२४ को पूर्वाह्न ११:०० बजे से व्यवहार न्यायालय परिसर, चतरा में आयोजित मासिक लोक अदालत में वादों के निष्पादन हेतु पीठ गठित किया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-

बैच संख्या	पीठासीन पदाधिकारी का नाम	सदस्यों का नाम	वाद की प्रकृति
1	श्री सुरज प्रकाश ठाकुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, चतरा। स्थान—Sri Prashant Singh, JM 1st Class, Chatra Court.	1. श्री अशोक साहू पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सीताराम यादव, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	पारिवारिक वाद, सिविल एवं आपराधिक अपील एवं रिवीजन मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद से संबंधित मामले, बिजली विभाग के मामले एवं सभी प्री-लिटिगेशन एवं विचाराधीन मामले।
2	श्री विनय कुमार लाल, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी—सह—सिविल जज सिनियर डिविजन द्वितीय, चतरा। स्थान—CJM, Court.	1. श्री दिनेश कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	सभी तरह के G.R. Cases, भूमि एवं राजस्व (Land and Revenue Cases) के मामले, फौजदारी मामले, कार्यपालिका न्यायालय के मामले, धारा 138 N.I.Act. के मामले, B.S.N.L. के मामले, सभी बैंक के ऋण वसूली से संबंधित मामले एवं अन्य सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन एवं विचाराधीन मामले।
3	श्रीमती सोनाली सिंह, मुंसिफ—सह—अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चतरा। स्थान—SDJM, Court.	1. श्री अक्षय कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता, चतरा। 2. श्री प्रवीण रंजन, पैनल अधिवक्ता, चतरा।	सभी तरह के Complaint Cases, वन विभाग के मामले, सिविल वाद, श्रम अधिनियम, उत्पाद, मापतौल, सर्टिफिकेट वाद, वसूली वाद, नगरपालिका से सम्बन्धित सभी मामले।

तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बैच द्वारा होने वाले कार्य निष्पादन में सहयोग करेंगे।

बैच सं०	तृतीय वर्गीय कर्मचारी	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी
1	श्री अनुप कुमार	श्री अनिल कच्छप
2	श्री संजीवन कुमार	श्री राजेश्वर सिंह
3	श्री संजय कुमार	श्री नासिर जिया

उपरोक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी कार्य करेंगे।

नोट:-

1. किसी भी पदाधिकारी के अवकाश में रहने पर उनके स्थान पर उनके प्रभारी पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी होंगे।
2. सभी बैच (पीठ) के पीठासीन पदाधिकारियों से अनुरोध किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली/झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार सभी निस्तारित वादों का एवार्ड तैयार करवायें जो तीन प्रतियो मे होगा, जिसकी एक-एक कॉर्बन प्रति पक्षकारों को और उसकी मूल प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के लिए सुरक्षित किया जायेगा।
3. सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के साथ पदस्थापित समस्त तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अपने पीठासीन पदाधिकारी के निर्देशानुसार तत्संबंधी पीठ में भी कार्य सम्पादित करें, संबंधित बैच के तृतीय वर्ग के कर्मचारी संबंधित बैच में निष्पादित होने वाले मामलों का स्टेटमेंट/डेटा भी तैयार करें और उसकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय मे उपलब्ध करवायें।
4. व्यवहार न्यायालय चतरा के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पीठों द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी संचिका को, तुरंत प्रस्तुत करने हेतु तत्पर रहें और आवश्यकतानुसार कार्य का संपादन करें।

20.12.2019
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
चतरा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय संघ-अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा।

20.12.2019